स्वःयोजना- स्वःसहायता समूह

(बालाघाट जिला-जनजाति महिलाओं के विशेष संदर्भ में)

कु. निधि ठाकुर

भारत सरकार ने संविधान का उल्लेख करते हुये राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जनजातियों पर विशेषतः ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि उनको शोषण से बचाया जा सके। इस दायित्व के पालन के लिये अन्य राज्य सरकारों की भांति मध्यप्रदेश में अनेक विकास कार्यक्रम को संचालित कर जनजातियों की स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में बहुउद्देशीय जनजातीय विकास योजनाएं प्रारम्भ की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकासखण्ड निर्मित कर जनजातीय विकास के कार्यक्रम 50 प्रतिशत या उनसे अधिक जनसंख्या वाले सभी विकासखण्डों में तेजी से प्रारम्भ किये गये। सन् 1980 से जनजातीय विकास के लिये एक महत्वाकॉक्षी योजना आरम्भ की गयी जिसे ''समन्वित जनजातीय विकास परियोजना'' (I.T.D.P.) कहा जाता है जिसके द्वारा जनजातियों को विभिन्न सुविधाएं देने के साथ ही निर्धन व्यक्तियों का चयन करके उन्हें रोजगार प्रशिक्षण तथा ऋण एवं अनुदान प्रदान किया जाता है।

स्व–सहायता समूह की अवधारणाः–10 से 20 व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समूह की बचत से खुद की सहायता करता है स्व–सहायता समूह कहलाता है। इसके मुख्य तत्व निम्नानुसार हैं :–

1. स्व–सहायता समूह के सदसय प्रति सप्ताह या प्रतिमाह एक निश्चित राशि जमा करते हैं।
2. जमा की गई राशि बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर रखी जाती है। खाते का संचालन समूह के 2 व्यक्ति कर सकते हैं। इन 2 व्यक्तियों को समूह स्वयं चुनता है।
3. समूह के सदस्य एकत्र राशि में से ऋण के रूप में राशि ले सकते हैं।
4. सदस्यों को ऋण की स्वीकृति समूह के सामूहिक निर्णय से होती है।
5. समूह के सदस्य एक–दूसरे का सहयोग करते हैं। एक दूसरे के सुख–दुख में काम आते हैं।
6. ऋण के ब्याज का निर्धारण समूह के सभी सदस्य मिलकर करते हैं।
7. बीमारी, कृषि कार्यों जैसे बीज या खाद खरीदने, शादी, ब्याह व त्यौहारों आदि के लिये समूह के कोष से ऋण लिया जा सकता है।
8. गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले ऐसे स्व–सहायता समूह को कोई भी काम धन्धा करने के लिये बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो सकता है।
9. स्व–सहायता समूह के गठन एवं अन्य जानकारियॉ प्राप्त करने के लिये आप स्थानीय स्तर पर ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला सहयोगिनी, महिला बाल विकास विभाग की कार्यकर्ता से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

शिखा स्व–सहायता समूह

परिचय–बालाघाट नगर से लगभग 37 कि.मी. दूर स्थित रूपझर बैहर तहसील परसवाड़ा विकासखण्ड के शिखा स्व–सहायता समूह का अध्ययन किया गया। इस समूह के नाम एवं गठन में ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं परियोजना अधिकारी आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समूह के निर्माण की प्रकिया जुलाई 2003 से प्रारम्भ की गई एवं समूह ने 19–12–2003 से कार्य करना प्रारंभ किया। समूह में कुल 13 महिलाएं हैं महिलायें लगभग 19 वर्ष से 50 वर्ष के आयु वर्ग की हैं। अधिकांश महिलाएं अशिक्षित हैं केवल 4 महिलाओं की शिक्षा तीसरी से पॉचवी तक की है, केवल एक सदस्या 19 साल की है, जिसकी शिक्षा आठवीं तक है। समूह निर्माण के समय माता सदस्य थी किन्तु मृत्यु होने की स्थिति में पुत्री को सदस्यता प्रदान की गई है।

समूह की 13 महिलाओं में से 9 महिलायें अनुसूचित जनजाति (गोंड) एवं 4 अन्य पिछड़ा (नाई, पंवार, ढीमर) वर्ग की हैं। सभी महिलाओं के परिवार गरीबी रेखा के नीचे B.P.L. कार्ड धारक हैं। 12 महिलायें विवाहित हैं जिसमें से 4 महिलायें विधवा हैं बाकी के पति श्रमिक का कार्य करते हैं। समूह को समस्त सूचनाएं एकीक त बाल विकास योजना के माध्यम से प्रदान की गई है। प्रारंभ में 3 सेक्टर कुमादेही, बघोली एवं खुरमुण्डी के 60 केन्द्र थे बाद में बघोली सेक्टर अन्य स्व–सहायता समूह के कार्यक्षेत्र में चले जाने के कारण वर्तमान में 46 केन्द्र में खाद्यान्न दलिया की पूर्ति की जा रही है।

वित्तव्यवस्था–समूह के गठन के पश्चात सिंडीकेट बैंक उकवा में अध्यक्ष एवं सचिव के नाम का 500 रूपये जमा कर खाता खोला गया। यथा संभव सभी सदस्यों ने लगभग 6 महिने तक बैंक में लगभग 700 रूपये जमा किया गया। तत्पश्चात बैंक द्वारा $2^{1/2}$ लाख रूपयों का 12 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण स्वीकृत किया गया। प्रथम चेक 1 लाख 58 हजार रूपयों का अध्यक्ष एवं सचिव संयुक्त खाता के नाम से जारी किया गया।

कार्यप्रणाली–स्व–सहायता समूह के निर्माण के समय एक अनुबंध पत्र किया जाता है । जिसमें किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर निर्णय लेने का अधिकार जिलाध्यक्ष एवं बालाघाट जिला सत्र न्यायालय को प्रदान किया गया है। समस्त सदस्यों की सहमति के आधार पर समूह के अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव किया गया। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सचिव नियुक्त किया जा सकता है क्योंकि शिक्षित होने से समूह की लिखित कार्यवाही एवं अन्य व्यवसीायें सुचारू रूप से सम्पन्न की जा सके।

समूह की राशि प्राप्त होने के पश्चात खाद्यान्य तैयार करने हेतु चक्की, जनरेटर, तराजु, एवं अन्य उपयोगी सामग्री की खरीदी सिवनी से की गई। प्लास्टिक के बैग रजेगॉव की फैक्टरी से एवं डीजल, धागा इत्यादि उपलब्धता के आधार पर क्रय किया जाता है। गेहूँ उकवा समिति से तीन–तीन महिने के कोटा अधिकार पत्र के द्वारा B.P.L. रेट 5.00 रूपये किलो एवं सिवनी से सोयाबीन 11 रूपये प्रतिकिलो के भाव से क्रय किया जाता है। समूह के द्वारा प्रत्येक चेक की फोटोकॉपी, अनुबंध, अधिकार पत्र, आय–व्यय, भण्डारण, खाद्यान्न पावती, बैठक प्रस्ताव इत्यादि समस्त प्रकार की पंजियॉ व्यवस्थित रखी गई हैं। आय व्यय का हिसाब, बिल इत्यादि समूह बैठक में सदस्यों को दिखाकर कार्यप्रणाली में पारदर्शिता रखी जाती है एवं प्रतिमाह मासिक प्रतिवेदन तैयार परियोजना कार्यालय परसवाड़ा में प्रस्तुत किया जाता है। समस्त महिलायें प्रातः 10 बजे तक लगभग 6 घंटे कार्य करती हैं। मध्य में 1 घंटे का भोजन इत्यादि के लिये विश्राम दिया जाता है। मॉग अधिक होने पर रात्रि मे भी 6 घंटे कार्य किया जाता है। पहले पारिश्रमिक 25 रूपये एवं बाद में 30 रूपये कर दिया गया है। परिवार के पुरूष सदस्य आवश्यकता पड़ने पर कार्य में

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय बालाघाट (म.प्र.)

सहायता प्रदान करते हैं। समूह का भवन न होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मकान को 300 रूपये प्रतिमाह किराये से लेकर खाद्यान्न तैयार किया जाता है। वितरण हेतु वाहन किराये से लेकर श्रमिकों द्वारा माल निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जाता है। चक्की को चलाने के लिये पुरूष श्रमिक को लेकर श्रमिकों द्वारा माल निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जाता है। चक्की को चलाने के लिए पुरूष श्रमिक को 1000 रूपये प्रतिमाह वेतन स्वरूप प्रदान किया जाता है।

उत्पादन प्रणाली—समूह के द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व 100 ग्राम गेहूँ एवं 10 ग्राम सोयाबीन का दलिया तैयार सेम्पल परियोजना कार्यालय के माध्यम से मुंबई भेजा गया। दलिया गुणवत्ता मानक के अनुरूप होने के कारण उत्पादन करने की स्वीक ति प्रदान कर दी गई। एक पैकेट 1 किलो 125 ग्राम के वजन का निर्धारित किया गया है। इस प्रकार $22^{1/2}$ किलो में 21 किलो गेहू एवं $1^{1/2}$ किलो सोयाबीन का माप रखा जाता है। बोरी पर समूह का मोनो भी बनाया गया है। गेहूँ को साफ कर, सोयाबीन को उबाल कर, सुखाकर पूर्ण स्वच्छता को ध्यान में रखकर दलिया तैयार कर पैकिट भरे जाते हैं। उप उत्पादन आटा एवं चोकर का विक्रय कर आय—व्यय का पूर्ण हिसाब रखा जाता है।

ऑगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 1 से 3 वर्ष के बच्चों की माता एवं गर्भवती माता को दलिया वितरित किया जाता है। आहार एवं पोषण विज्ञान के मानक के अनुसार एक हितग्राही को 72 ग्राम दलिया प्रदान किया जाता है जिसमें 68 ग्राम गेहूँ एवं 4 ग्राम सोयाबीन में न्यूनतम कैलोरी 229.28 एवं 10 ग्राम प्रोटीन की उपलब्धता है। प्रशासन ऑगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से 85 पैसे अर्थात 83 पैसे मूल्य, 2 पैसे परिवहन के भाव प्रदान करता है।

वर्तमान स्थिति—समूह में महिलायें दलिया तैयार करने के अतिरिक्त कृषि, मैग्नीज खदान मॉयल जगनटोला में श्रमिक के रूप में कार्य कर रही हैं। माह में लगभग 25 दिन कार्य करती हैं। अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि प्रारंभ में बैंक खाता में प्रतिमाह कम आय होने के कारण 100 रूपये जमा किये जाते थे, किन्तु अब यह प्रयास रहेगा कि 1000 रूपये जमा किये जायें। समूह हर महिने 5 हजार रूपये ऋण के रूप में चुका रहा है। अब तक 41 हजार रूपये ऋण के रूप में प्रदान किया जा चुका है। लाभांश का वितरण भीं किया जा रहा है। अभी तक 80 हजार रूपयों से 160 क्विंटल खाद्यान्न उठाया गया है एवं 600—800 बैग दलिया तैयार किया जा रहा है।

समस्याएँ—समस्त सदस्यों के द्वारा निम्नलिखित समस्यायें बतायी गई—

1. नये स्व—सहायता समूह के बनने पर केन्द्र की कमी हो जाती है जबकि व्यय में विशेष कमी नहीं आती है।
2. ऋण प्राप्त करने, चेक भुनाने, बैंक एवं अन्य कागजी कार्यवाही लम्बी होती है।
3. ब्याज दर अधिक है एवं लाभ कम होता है।
4. खाद्यान्न जैसे गेहु की गुणवत्ता कभी—कभी अत्यंत खराब होती है। कई बार महंगे दर पर खरीदना पड़ता है।
5. यंत्रों की खरीदी व संचालन संबंधी तकनीकी जानकारी का पूर्ण अभाव होता है।
6. बिजली की पूर्ति पूरे समय नहीं होने के कारण जनरेटर के द्वारा चक्की चलायी जाती है।
7. बैग की कीमत 6 रूपये होती है किन्तु खाली बैग या तो वापिस नहीं आते या अत्यधिक खराब स्थिति में जिससे व्यय बढ़ता जाता है।
8. ऋण न चुका नापे की स्थिति में क्या कार्यवाही होगी इसकी जानकारी न होने पर सदैव भय व्याप्त है।
9. निरन्तर एवं नियमित पूर्ति की बाध्यता के कारण पूर्ति न होने पर काली सूची में डाल दिया जाता है एवं अनुबंध 15 दिन की पूर्व सूचना देकर समाप्त कर दिया जाता है।

सुझाव—

1. समूह के खाद्यान्न दलिया की खपत को बढ़ाया जाये अर्थात नये आंगनवाड़ी केन्द्र बनाये जायें।
2. बैंक संबंधी कार्यवाही सरल एवं सुविधाजनक बनायी जाये।
3. ब्याज दर कम किया जाये।
4. सब्सिडी प्रारंभ में ही प्रदान की जाये।
5. गेहूं की गुणवत्ता उचित होनी चाहिये ताकि दलिया की गुणवत्ता पर असर न पड़े।
6. बिजली की पूर्ति न होने की स्थिति में जनरेटर के प्रयोग से लागत—व्यय में वृद्धि हो जाती है अतः मूल्य बढ़ाया जाना चाहिये।
7. यंत्रों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के साथ समस्त वस्तुओं की खरीदी में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाये।
8. बैग की कीमत को बचत हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र से संबंधित सभी व्यक्तियों का दायित्व है कि वे बैग को यथासंभव सम्हाल कर वापिस करें।
9. समिति से गेहूं 5 रूपये रेट न मिलने के कारण बाजार से महंगे भाव से खरीदना पड़ता है अतः निरन्तर एवं नियमित पूर्ति की बाध्यता नहीं होना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल जी.के. सामाजिक मानवशास्त्र
2. गुप्ता एम.एल. एवं डॉ0 शर्मा डी.डी. सामाजिक मानव शास्त्र
3. मुकर्जी रविन्द्रनाथ सामाजिक मानव शास्त्र की रूपरेखा
4. तिवारी डॉ0 शिवकुमार एवं शर्मा डॉ. कमल म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी
5. पढ़ना बढ़ना आंदोलन 2000 साक्षरता का चौथा प्राइमर
6. पढ़ना बढ़ना आंदोलन—2002—साक्षरता का चाथा प्राइमर राजीव गांधी शिक्षा मिशन की पहल मध्यप्रदेश शासन।